

ajy

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

" अधिसूचना "

रायपुर, दिनांक २८ मार्च २००१

क्र. स्फ/१०-४/२००१/वा.क./पंच/६३२

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम १९६६ के नियम ८ के उप नियम (२) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम २ की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिये, उसके (सारणी के) कालम ४ में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है :-

सारणी

क्र०	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञप्ति फीस
१.	२.	३.
१.	२.	४.
१.	एफ०एल० २ अनुज्ञप्ति (सार्वजनिक गृह या रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति)	(क) ऐसे नगरास्थान के लिए, जिसकी जन-संख्या एक लाख से अधिक न हो. (ख) ऐसे नगरास्थान के लिए, जिसकी जन-संख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, और (ग) ऐसे नगरास्थान के लिए, जिसकी जन-संख्या तीन लाख से अधिक हो.
		रु० ३,००,००० प्रति वर्ष रु० ३,५०,००० प्रति वर्ष रु० ४,००,००० प्रति वर्ष
२.	एफ०एल० ३ अनुज्ञप्ति (होटल बार अनुज्ञप्ति)	(क) ऐसे नगरास्थान के लिए, जिसकी जन-संख्या एक लाख से अधिक न हो.
		रु० ५,००,००० प्रति वर्ष

(ख) ऐसे नगरास्थान के रु० ६,००,०००
लिर, जिसकी जन- प्रति वर्षा
संख्या एक लाख से
अधिक किन्तु तीन
लाख से अधिक न
हो और

(ग) ऐसे नगरास्थान के रु० ७,००,०००
लिर, जिसकी जन- प्रति वर्षा
संख्या तीन लाख
से अधिक हो।

३. एफ.एल.१० अनुसूचित (विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुसूचित) — रु. ८,००,००० प्रतिवर्ष
४. एफ.एल.० १ ख (क) ऐसे नगरास्थान के रु० १,५०,०००

(अंशानुसूचित);

लिर, जिसकी जन- प्रति वर्षा
संख्या एक लाख से
अधिक न हो।

(ख) ऐसे नगरास्थान के रु० २,००,०००
लिर, जिसकी जन- प्रति वर्षा
संख्या एक लाख से
अधिक किन्तु तीन
लाख से अधिक न
हो, और

(ग) ऐसे नगरास्थान के रु० ३,००,०००
लिर, जिसकी जन- प्रतिवर्षा
संख्या तीन लाख से
अधिक हो।

यह अधिसूचना दिनांक १ अप्रैल २००१ से प्रवृत्त होगी।

कुत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(के. आर. मिश्रा)
उपसचिव

20 Copy

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
COMMERCIAL TAXES, FINANCE, PLANNING, ECONOMIC
& STATISTICS DEPARTMENT

" NOTIFICATION "

Raipur the29..... March, 2001

F. 10-8/2001/

No. C.T.D./V/ 632 In exercise of the power conferred by sub rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules 1996, the State Government hereby prescribe the annual licence fees as shown in column 4 of the table below for different kinds of licences mentioned in the corresponding entry in column 2 thereof :-

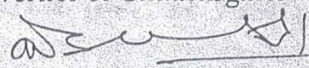
Table

S.No.	Kind of licence		Licence Fees
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FL 2 licence (Public house or Restaurent Bar)	a. For a town/place of which the population does not exceed one lac.	Rs. 3,00,000 per annum
		b. For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceed three lacs and	Rs. 3,50,000 per annum
		c. For a town/place of which the population exceeds three lacs	Rs. 4,00,000 per annum
2.	FL 3 Licence (Hotel Bar Licence)	a. For a town/place of which the population does not exceed one lac	Rs. 5,00,000 per annum
		b. For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceed three lacs and	Rs. 6,00,000 per annum.
		c. For a town/place of which the population exceeds three lacs	Rs. 7,00,000 per annum
3.	FL 10 Licence (Manufactureres Distribution Licence)		Rs. 8,00,000 per annum.

20
copy

4. FL1B (AHATALICENCE)
- | | | |
|----|---|-------------------------|
| a. | For a town/place of which the population does not exceed one lac. | Rs. 1,50,000 per annum |
| b. | For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceed three lacs and | Rs. 2,00,000 per annum. |
| c. | For a town/place of which the population exceeds three lacs. | Rs. 3,00,000 per annum. |

This notification shall come into force with effect from 1st April 2001.

and
By order, in the name of
The Governor of Chhattisgarh

(K. R. MISRA)
DEPUTY SECRETARY